(18)

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 934/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 5.7.93 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 15/विविध अपील/1991–1992.

चिरोंजी लाल पुत्र देवलाल साहू
पटवारी हल्का न0 14 ईसागढ़
तहसील ईसागढ़ जिला गुना म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी
अनावेदक अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 2 -5 -2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 15/विविध अपील/1991–1992 में पारित आदेश दिनांक 05.7.1993 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता चिरोंजीलाल के विरूद्ध कतिपय आरोपों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश दिनांक 7.8.87 को दिये गये । विभागीय जांच तहसीलदार अशोकनगर द्वारा की जाकर दिनांक 20.4.88 को जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को प्रेषित किया गया, जिसमें निगरानीकर्ता पर लगाये गये दोनों आरोपों को आंशिक स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22.4.88 से निगरानीकर्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.4.88 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/88-89/अपील पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 29.7.89 से अपील निरस्त की गयी । निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 15/91-92/विविध अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 5.7.93 से निरस्त की गई। इस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त अभिलेखों का समग्र रूप से परिशीलन किया गया।

4- निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि प्रकरण में साक्षियों के कथन हुये थे, उन पर निगरानीकर्ता को जिरह का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कलेक्टर, जिला गुना एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपने आदेश में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। साक्षियों के कथन लिये निगरानीकर्ता के सामने ही हुये हैं, यह तत्समय ही निगरानीकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष यह आपत्ति करता कि उसे साक्षियों से जिरह करने का अवसर दिया जावे अथवा कथन पूर्ण होने के बाद ही वह जिरह करने का अनुरोध करता और उस

समय यदि उसे अवसर प्रदान नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति में उसका यह तर्क स्वीकार योग्य था, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः बाद में यह आपत्ति कि उसे जिरह का मौका नहीं मिला स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5- निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि निगरानीकर्ता पर लगाये गये आरोप जांच में सिद्ध नहीं पाये गये तब उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है । जांच अधिकारी द्वारा जांच करते समय निगराकर्ता पर लगाये गये दो आरोप आंशिक स्वीकार किये जाने का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जानेका आदेश दिया गया था। इस संबध में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश के पद-5 में स्पष्ट विवेचना की जा चुकी है। आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि निगरानीकर्ता पर लगाये गये दोनों आरोप पूर्णतः सिद्ध हो जाते तो इससे कहीं अधिक गंभीर दण्ड से दण्डित किये जानेका औचित्य होता । इस प्रकार मेरे मत से कलेक्टर, जिला गुना एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती निष्कर्ष हैं और ऐसे समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर कलेक्टर जिला गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर